

परिशिष्ट -1

निर्धारित समिति

- | | |
|---|--------------------------|
| 1. नोडल अधिकारी एवं सहायक नोडल अधिकारी | - प्रदेश स्तर पर्यवेक्षक |
| 2. क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक | - संभागीय पर्यवेक्षक |
| 3. प्राचार्य अग्रणी महाविद्यालय | - जिला मुख्यालय, अध्यक्ष |
| 4. प्राचार्य संबंधित शासकीय महाविद्यालय | - सदस्य (नियोक्ता) |
| 5. प्रत्येक महाविद्यालय के 02 प्राध्यापक, | - सदस्य |
| 6. सामाजिक न्याय विभाग (उप संचालक) | - विशेष आमंत्रित सदस्य |

शैक्षणिक योग्यता/अर्हता

| | | |
|---|--------------------|--|
| 1 | सहायक ग्रेड-3 | <p>1. हायर सेकेंडरी (10+2) परीक्षा उत्तीर्ण होना अनिवार्य।</p> <p>2. निम्नांकित संस्थाओं में से किसी एक संस्था/विश्वविद्यालय से 01 वर्षीय कम्प्यूटर डिप्लोमा/सर्टिफिकेट अनिवार्य है:-</p> <p>(क) यू.जी.सी. द्वारा मान्यता प्राप्त किसी भी विश्वविद्यालय से डिप्लोमा।</p> <p>(ख) यू.जी.सी. द्वारा मान्यता प्राप्त किसी भी मुक्त विश्वविद्यालय से डिप्लोमा।</p> <p>(ग) डी.ओ.ई.ए.सी.सी./नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफारमेशन टेक्नोलॉजी (NIELIT) से डिप्लोमा स्तर की परीक्षा।</p> <p>(घ) शासकीय पॉलीटेक्निक कॉलेज से मॉडर्न ऑफिस मैनेजमेंट कोर्स।</p> <p>(ङ) शासकीय आई.टी.आई. द्वारा एक वर्षीय कम्प्यूटर ऑपरेटर एवं प्रोग्रामिंग असिस्टेंट (COPA) प्रमाण-पत्र।</p> <p>उक्त मान्यता प्राप्त संस्थाओं से कम्प्यूटर डिप्लोमा के अलावा निम्न अर्हता भी मान्य होगी:-</p> <p>उपरोक्त निर्दिष्ट संस्थाओं से बी.ई.(सी.एस.ई. / आई.टी.) / एम.सी.ए. / बी.सी.ए. / एम.एस.सी.(आई.टी. / सी.एस.) बी.एस.सी. (आई.टी. / सी.एस.) एम.टेक. / एम.ई. इत्यादि।</p> <p>अथवा</p> <p>ए.आई.सी.टी.ई. से अनुमोदित पॉलिटेक्निक डिप्लोमा इन कम्प्यूटर साइंस/कम्प्यूटर एप्लिकेशन एवं इंफारमेशन टेक्नोलॉजी।</p> <p>टीप :- बी.एस.सी./बी.कॉम/अन्य उपाधियां जिनमें केवल एक विषय के रूप में सम्मिलित है मान्य नहीं होगी।</p> <p>3.म.प्र. शासन विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा आयोजित कम्प्यूटर प्रमाणिकरण दक्षता परीक्षा (CPCT) हिन्दी टायपिंग 20 शब्द प्रतिमिनट अथवा उससे अधिक में उत्तीर्ण होना अनिवार्य।</p> |
| 2 | प्रयोगशाला परिचारक | 10 वीं कक्षा उत्तीर्ण, |
| 3 | भृत्य | 8 वीं कक्षा उत्तीर्ण |
| 4 | अन्य चतुर्थ श्रेणी | सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी नियमानुसार |

आवश्यक नियम एवं निर्देश :-

1. आवेदक का मध्यप्रदेश का मूल निवासी होना अनिवार्य है।
2. समस्त प्रमाण पत्र की स्वयं सत्यापित प्रति संलग्न करना अनिवार्य है।
3. आवेदक की आयु न्यूनतम 18 वर्ष एवं अधिकतम 45 वर्ष निर्धारित है।
4. आवेदक का म.प्र. में किसी भी रोजगार कार्यालय में जीवित पंजीयन होना अनिवार्य है।
5. विभाग में कार्यरत आवेदक कर्मचारी नियोजक के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं।
6. साक्षात्कार के समय सभी प्रमाण-पत्रों की मूल प्रतियां दिखाना अनिवार्य है।
7. संबंधित जिले के शासकीय जिला चिकित्सालय में मेडिकल बोर्ड के द्वारा जारी किया गया ही मान्य होगा, ऐसे दिव्यांग जिनकी दिव्यांगता 40 प्रतिशत से कम है वे अपात्र मान्य किये जावेंगे तथा साथ ही यू.डी.आई.डी. से जारी दिव्यांगता डिजिटल प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
8. कोई भी उम्मीदवार जिसने विवाह के लिये निर्धारित की गई न्यूनतम आयु से पूर्व विवाह कर लिया हो, इस पद पर नियुक्ति के लिये पात्र नहीं होगा।
9. जिस आवेदक को 02 से अधिक संतान है उनमें से एक का जन्म यदि 26 जनवरी 2001 को या उससे पश्चात हुआ हो तब ऐसा आवेदक नियुक्ति के लिये पात्र नहीं होगा।
10. साक्षात्कार से पूर्व संबंधित पद की समस्त अर्हता/योग्यता आवेदक के पास होना आवश्यक है।
11. नियुक्ति से संबंधित सभी अधिकार आयुक्त, उच्च शिक्षा भोपाल के पास सुरक्षित होंगे।
12. सामान्य प्रशासन विभाग के जापन क्रमांक दिनांक 17/07/2014 के अनुसार निःशक्तजनों की नियुक्ति के पश्चात् एवं उनके कार्यभार ग्रहण करने के पूर्व जिला मेडिकल बोर्ड से निःशक्तता प्रमाण पत्र का परिक्षण कराया जाये।
13. सामान्य प्रशासन विभाग के जापन दिनांक 13.10.2015 के अनुसार मूक बधिर श्रेणी के निःशक्तजनों की शासकीय भर्ती से पूर्व मेडिकल बोर्ड में बैरा टेस्ट (Bera Test) कराना अनिवार्य है।
14. मध्यप्रदेश सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय के पत्र दिनांक 31.05.2024 की कंडिका 2.4 के अनुसार दिव्यांगजनों के लिए आरक्षित रिक्त पदों की पूर्ति वॉक-इन-इंटरव्यू के माध्यम से की जाये, यह स्पष्ट किया गया है कि वॉक-इन-इंटरव्यू से आशय साक्षात्कार के लिए पृथक से अंक दिये जाने की आवश्यकता नहीं है। उच्च शिक्षा विभाग के रिक्त पदों के लिए नियमों में उल्लेखित आवश्यक शैक्षणिक एवं अन्य अर्हता के आधार पर मैरिट सूची बनायी जाकर पद पूर्ति की जाये।
15. इस विशेष भर्ती अभियान में सामान्य प्रशासन विभाग एवं मध्यप्रदेश उच्च शिक्षा विभाग के समय-समय पर जारी नियम एवं निर्देश लागू किये जावेंगे।

आवेदन पत्र का प्रारूप

प्रति,

प्राचार्य,
समस्त अग्रणी महाविद्यालय
मध्यप्रदेश।

नवीन कलर पासपोर्ट
फोटो

1. आवेदित पद का नाम
2. आवेदक/आवेदिका का पूरा नाम
3. आवेदक/आवेदिका के पिता/पति का नाम
4. जन्म तिथि (10+2 प्रमाण पत्र के आधार पर) : वर्ष माह दिन
5. वर्ग(OBC/ SC/ ST/ EWS/ UR)
6. यदि आवेदक विवाहित हो तो विवाह के प्रमाण पत्र के अनुसार विवाह दिनांक
7. जीवित बच्चों का विवरण
8. स्थाई पता
9. रोजगार कार्यालय का जीवित पंजीयन क्रमांक एवं रोजगार कार्यालय का नाम.....

10. शैक्षणिक योग्यता(कम्प्यूटर डिप्लोमा एवं सी.पी.सी.टी. स्कोर कार्ड की जानकारी सहित)

| क्र. | परीक्षा का नाम | संस्था/बोर्ड/विश्वविद्यालय का नाम | विषय | प्राप्तांक | श्रेणी |
|------|----------------|-----------------------------------|------|------------|--------|
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

11. अतिरिक्त विशेष योग्यता/अनुभव यदि हो तो

12. उपरोक्त विवरण के संबंध में सभी प्रमाण पत्र की छायाप्रति अभिप्रमाणित कर प्रस्तुत करें।
संलग्न :- प्रमाण पत्रों की सत्यापित प्रति।

आवेदक/आवेदिका के हस्ताक्षर

//घोषणा पत्र//

मैं घोषणा करता हूँ /करती हूँ कि उपरोक्त सभी जानकारी जो मेरे द्वारा गई है। वह मेरे विवेक एवं ज्ञान से पूर्णतः सत्य है। जानकारी असत्य पाई जाने पर मेरा आवेदन निरस्त माना जावेगा।
स्थान :-

आवेदक/आवेदिका के हस्ताक्षर एवं पूरा पता

